प्राथमिक शिक्षक चयन प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों FAQ

क्रमांक	संभावित प्रश्न	उत्तर
1	क्या चयन प्रवर्ग/दिव्यांगता श्रेणी/ भूतपूर्व सैनिक/अतिथि/आरक्षित प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है ?	• जी नहीं । • मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नहीं है।
2	अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा ?	• अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र विज्ञप्ति अनुसार आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक का मान्य होगा ।
3	अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है। अनुभव क्या होना चाहिए ?	• म.प्र. की शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस तथा 03 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया हो। एक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस का अनुभव होने पर ही उसे 1 सत्र का अनुभव माना जा सकेगा • जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक के हस्ताक्षर से जारी शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र मान्य होगे। (विस्तृत विवरण निर्देशिका में देखें)
4	यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पत्रोपाधि नियमित रूप से प्राप्त की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा ?	• जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की है तो उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। • शासकीय शाला जिसमें अतिथि शिक्षक का अनुभव प्राप्त किया है उस स्थान (ग्राम / शहर) एवं जिस कॉलेज से उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त की है वह स्थान (ग्राम / शहर) दोनो समान होने की स्थिति में उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा । अन्यथा मान्य नहीं होगा
5	अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किन्तु प्रमाणपत्र नहीं है।	• मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थिता अमान्य होगी। • प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर अतिथि प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रतानुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी।

6	क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा ?	• जी नहीं । मध्यप्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा डिजिटल (नवीनतम) ही मान्य होगा।
7	जाति प्रमाण पत्र किसके नाम (पिता या पति) के साथ मान्य होगा ?	• अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा । विवाहित महिला का जाति प्रमाणपत्र उसके पिता के नाम के साथ बना प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।
8	PEB/ESB में पात्रता परीक्षा में EWS पर टिक किया है किन्तु मैं EWS में नहीं आती हूँ/आता हूँ। क्या करू ?	• मुख्य चयन सूची में EWS प्रवर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य होगी। • प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित सूची से पात्रता (पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा के अंको के आधार पर) होने पर मेरिट क्रम के आधार पर पात्रतानुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी ।
9	महिला EWS होने की स्थिति में किसकी आय के आधार पर जारी प्रमाणपत्र मान्य होगा ?	• EWS महिला अभ्यर्थी के विवाहित होने पर पति की आय के आधार पर जारी प्रमाणपत्र एवं अविवाहित होने पर पिता की आय के आधार पर जारी प्रमाणपत्र मान्य होगा ।
10	मैंने PEB/ESB की पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश SC पर टिक किया था जबकि मैं ST में आता हूँ या आती हूँ/क्या मुझे ST में नियुक्ति मिलेगी ?	• मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य होगी। • प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर (पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा के अंको के आधार पर) पात्रतानुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी ।
11	मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया था। क्या मेरी अभ्यर्थिता अमान्य होगी ?	• मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य होगी। • प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर सैनिक प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर (पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा के अंको के आधार पर) कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी ।

12	दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है। क्या दिव्यांगता का प्रकार संशोधित किया जा सकता है ?	• दिव्यांगता के प्रकार को संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य चयन सूची में संबंधित की अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। • प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर दिव्यांग श्रेणी की मेरिट क्रम के आधार पर (पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा के अंको के आधार पर) पात्रतानुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी।
13	मेरे पास दिव्यांगता प्रमाणपत्र अस्थायी है क्या वह मान्य होगा?	• मुख्य चयन सूची में दिव्यांगता के अस्थायी प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित की अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। • प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर दिव्यांग श्रेणी की मेरिट क्रम के आधार पर (पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा के अंको के आधार पर) पात्रतानुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी ।
14	एक सत्र में दो उपाधि अर्जित करना मान्य है अथवा नहीं ?	• दो नियमित उपाधि होने पर अभ्यर्थिता अमान्य होगी । • एक नियमित उपाधि एवं एक स्वाध्यायी उपाधि होने पर अभ्यर्थिता मान्य होगी । • एक नियमित उपाधि एवं एक नियमित पत्रोपाधि होने पर अभ्यर्थिता अमान्य होगी। • एक नियमित उपाधि एवं एक स्वाध्यायी पत्रोपाधि होने पर अभ्यर्थिता मान्य होगी ।
15	केन्द्रीय सेवाओं हेतु जारी / केन्द्र द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्या मान्य होगा।	• मान्य नहीं होगा।
16	महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उप-नाम में परिवर्तन।	• उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र लिया जाए।
17	क्या बोनस अंक हटाने पर शेष अंको के आधार पर चयन की पात्रता होगी।	• पात्रता नहीं होगी अभ्यर्थिता अमान्य होगी ।